न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/7272 /2010/चित्तोडगढ

1– रामलाल पुत्र खेमा
2– घीसा पुत्र खेमा
3– खेमा पुत्र वरदा
समस्त जाति सुधार निवासी डोराई तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
––अपीलांटस

बनाम

1–देवी पुत्र डालू जाति भील निवासी ग्राम मनकेसर तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
––रेस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राजेश गौतम,अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
रैस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उसके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी।

निर्णय

दिनांक

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–12–2003 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनके समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 281/2003 शीर्षक रामलाल बनाम देवी को अस्वीकार किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी /रेस्पोडेंट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगू के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी अपीलांट के विरुद्ध ग्राम खुमावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 53/46 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं 44/52 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बावत पेश किया जिसका आपीलांट ने जबावदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18–8–03 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चितेाडगढ के

समक्ष पेश की जिसे उन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–03 को खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित तर्को को दोहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज कर केवल मात्र आदेशिका पर अपना निर्णय पारित किया है जबकि उनको विस्तृत विवेचन साक्ष्य का करते हुए निर्णय देना चाहिए था,जिससे अपीलाधीन निर्णय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका आगे तर्क है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा माना है जिससे वादी/रेस्पोडेट को कब्जेयाबी का दावा प्रस्तुत करना चाहिए था। अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज चले आ रहे है जो प्रस्तुत सक्ष्य से साबित है इस कारण रेस्पोडेंट का दावा कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का चलने योग्य नही था, फिर भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय दावा वादी डिक्री कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरणमें एकवाद संख्या 69/2001 शीर्षक देवी बनाम रामलाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगू के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। प्रकरण में दो तनकी कायम की गयी और दोनो पक्षों को सुन कर परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी का स्थाई निषेधाज्ञा कावाद डिक्री किया गया, जिसकी प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तोडगढ के समक्ष अपील संख्या 281/2003 शीर्षक रामलाल बनाम देवी अन्तर्गत धारा 223 आरटीए, 1955 प्रस्तुत की गयी। दोनो पक्षों को सुनकर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट अस्वीकार की गयी और परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–8–03 यथावत रखा गया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दावे में दो तनकी निम्नानुसार कायम की गयी।

1– आया मौजा खुमावास पटवार हल्का डोराई की आराजी खसरा नम्बर 53/46 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं 44/52 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा

भूमि वादी देवी पिता डालू खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है–वादी 2– आया विवादित आराजी पर वादी का कब्जा नही होकर आराजी पर सिचाई विभाग का कब्जा है और आराजी पर नहर निकल रही है जिससे वादी कोई अनुतोष पाने का हक नहीं रखता है––प्रतिवादीगण

विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने सर्व प्रथम तनकी संख्या एक का विवेचन करते हुए जमाबन्दी सं. 2057–60 प्रदर्श एक के अनुसार यह माना है कि उक्त खसरा नम्बरों के खातेदार श्री देवी पिता डालू भील है। आराजी की नकलों से भी स्पष्ट है कि इसमें कोई नहर आदि निकली हुई नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे उनका कोई हक व कब्जा काश्त सिद्ध होता हो। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने बयानों के आधार पर यह माना है कि प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर रखा है लेकिन यह बिना किसी आधार व दस्तावेज के है, जो प्रतिकूल कब्जा नही माना जाकर नाजायज कब्जे की परिभाषा में आता है। उक्त विवेचन के आधार पर इस तनकी का निर्णय विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी के पक्ष में किया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त विवेचन से पूर्ण सहमति व्यक्त की है। यह न्यायालय भी दोनो अधीनस्थ न्यायालयों की फाइण्डिंग से पूर्णतः सहमत है क्योकि वादी आराजी खसरा नम्बर 53/46 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं 44/52 रकबा1 बीघा 4 बिस्वा का खतोदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण ने बिना किसी आधार के नाजायज कब्जा कर रखा है जिससे वादी अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

जहॉ तक तनकी नम्बर दो का प्रश्न है, यह तनकी प्रतिवादीगण को सिद्ध करनी थी ,जिसे वह किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नही कर पाये कि विवादित आराजी से कितने रकबे पर नहर निकली है और उन्हें सिचाई विभाग द्वारा उन्हे किसी भी प्रकार से काश्त हेतु भूमि दी गयी हो। इसके विपरीत वादी ने अपने सबूत में खाता की नकल प्रदर्श–1 प्रस्तुत की तथा बयानों से भी यह सिद्ध किया है कि वादी अनुतोष प्राप्त करने का हक रखता है।इसके आधार पर उक्त तनकी विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तथा वादी के हक में तय की है।विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह माना कि परीक्षण न्यायालय ने वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का बिन्दुवार विवेचन कर निर्णय दिया है और यह माना है कि प्रतिवादी विवादित भूमि मेंअनाधिकृत रुप से हस्तक्षेप करते है। यह

न्यायालय भी उपरोक्त तर्कों से पूर्णतः सहमत है जिसमें हम किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही पाते है।

जहॉ तक अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तर्को का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानानुसार ही विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। जहॉ तक विवादित आराजी पर प्रतिवादी/ अपीलांट के कब्जे का प्रश्न है, परीक्षण न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में नाजायज कब्जा है। जहॉ तक राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानो के विपरीत निर्णय पारित करने का तर्क माने जाने योग्य नही है क्योकि राजस्व अपील प्राधिकारी ने य़द्यपि तनकी वार निर्णय पारित नही किया है ,लेकन उक्त दोनो तनकियों पर विस्तृत विवेचन कर ही निर्णय पारित किया है। चूॅकि दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री समवर्ती है और समवर्ती निर्णय व डिक्री में हस्तगत अपील के माध्यम से हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वप यह अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2003 एवं राजस्व अपील अधिकारी, चित्तोडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–12–2003 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग) (शिखर अग्रवाल)

सदस्य सदस्य